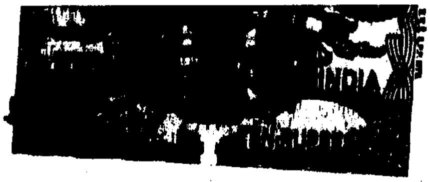

32

न्यायालय – राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

विविध प्रकरण क्रमांक /पी.बी.आर/2017 जिला भोपाल

विविध-:9074-PBR/17

राजेन्द्र सिंह साहनी पुत्र स्व.श्री अविनाशी निवासी–21 रिज, ईदगाह हिल्स भोपाल (म.प्र.) —— प्रार्थी

विरूद्ध

1. रिलायवल गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित भोपाल 16 अमर स्तम्भ प्रेंस अधिकृत प्रतिनिधी गोमती शरण बैस
2. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला भोपाल (म.प्र.) —— प्रतिप्रार्थीगण

दिवाकर दीक्षित (एड.) द्वारा आज दि: 06/04/17 को प्रस्तुत

व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 152 के अधीन आवेदन–पत्र।

माननीय महोदय,

प्रार्थी की ओर से निम्नलिखित निवेदन है :–

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी नजूल संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़) वृत ,भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक 31/2015–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 07.9.2016 के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थी द्वारा पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 3615/पी.बी.आर/2016 प्रस्तुत की गयी थी, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा अन्तिम आदेश दिनांक 7.12. 2016 पारित किया गया। जिसके अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण स्वीकार की गयी है (आदेश की फोटो प्रति संलग्न है)
2. यहकि, माननीय न्यायालय के समक्ष जो पुनरीक्षण आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी नजूल संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़) वृत ,भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.09.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी थी, उसमें लिपिकीय त्रुटिवश प्रार्थी राजेन्द्र सिंह साहनी के नाम का उल्लेख किया गया है। जबकि राजेन्द्र सिंह साहनी के पुत्र पवनीत सिंह उर्फ विक्की पुत्र राजेन्द्र सिंह सहानी लिखा जाना चाहिऐं था। ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय के आदेश में उक्त त्रुटि संशोधन योग्य है। तहसीलदार नजूल संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़) वृत ,भोपाल के (स्थगन आदेश की फोटो प्रति संलग्न है)।
3. यहकि, आवेदन पत्र सद्भाविक एवं न्यायिक होने से स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतएव निवेदन है कि आवेदन–पत्र स्वीकार कर माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 7.12.2016 में प्रार्थी राजेन्द्र सिंह साहनी के स्थान पर पवनीत सिंह उर्फ विक्की पुत्र राजेन्द्र सिंह साहनी के नाम का उल्लेख किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान किये जाऐ ।

स्थान : ग्वालियर

दिनांक : 04.04.2017

निवेदक

राजेन्द्र सिंह साहनी पुत्र स्व.श्री अविनाशी निवासी–21 रिज, ईदगाह हिल्स भोपाल (म.प्र.) —— प्रार्थी

द्वारा अभिभाषक

दिवाकर दीक्षित (एड.) ग्वालियर

विविध 9074-अ/2017 भोपाल

11.4.2017

प्रस्तुतकार

आवेदक की ओर से श्री
दिवाकर दीक्षित अभिभाषक ने
उपस्थित होकर अनुरोध किया कि
यह निगरानी पवनीत सिंह द्वारा
प्रस्तुत की जानी थी, परन्तु
त्रुटिवश आवेदक के रूप में
राजेन्द्र सिंह अंकित होने से इस
न्यायालय द्वारा पारित आदेश
दिनांक 7.12.2016 में आवेदक के
रूप में राजेन्द्र सिंह टंकित हो गया
है। अतः मूल आदेश में राजेन्द्र
सिंह के स्थान पर पवनीत सिंह उर्फ
विक्की पुत्र राजेन्द्र सिंह साहनी
टंकित किया जाये। अनुरोध स्वीकार
किया जाता है। आवेदक राजेन्द्र
सिंह साहनी के स्थान पर पवनीत
सिंह उर्फ विक्की पुत्र राजेन्द्र
सिंह साहनी पढ़ा जाये।
यह आदेशिका मूल आदेश का
अंग होगी। अतः मूल आदेश
के साथ संलग्न की जाये।

अध्यक्ष